भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -2480
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

पीएम-श्री योजना के तहत धनराशि

†2480. श्री हनुमान बेनीवाल:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-श्री योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में प्राप्त और उपयोग की गई हिस्सेदारी सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ख) क्या सरकार उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का रिकॉर्ड रखती है जो पीएम-श्री के वित्तपोषण पैटर्न के अंतर्गत अपना हिस्सा देने में बिफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने विद्यालयों ने पीएम-श्री मानकों के अनुसार 100 प्रतिशत वास्तविक और शैक्षणिक उन्नयन हासिल किया है और राजस्थान में नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले के विशेष संदर्भ में ऐसे पूर्णतः उन्नत विद्यालयों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी(

(क): पीएम श्री की केंद्र प्रायोजित योजना को दिनांक 7 सितंबर, 2022 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन के बाद, वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम श्री योजना के तहत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

राजस्थान के नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धन	उपयोग की गई धनराशि
2023-24	109.37	100.17
2024-25	961.72	735.65

(ख): केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम श्री (उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल) के अंतर्गत, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदित निधियों का केन्द्रीय भाग वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, राज्य सरकार को जारी

किया जाता है। इन निधियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भाग के साथ राज्य स्तर पर पीएम श्री योजना के लिए नामित एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय भाग की आगामी किस्त जारी करने के लिए राज्य के भाग को एसएनए खाते में जमा करना अनिवार्य है।

(ग): पीएम श्री योजना के तहत, पीएम श्री स्कूलों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने और संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा अपग्रेड किया गया है। 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए यह योजना विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं की पूर्ति हेतु एक समतापूर्ण, समावेशी और आनंददायक अधिगम वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है। इन स्कूलों को विद्यार्थियों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि प्रत्येक बच्चों को सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण में अपनापन, देखभाल और सहायता-युक्त अनुभव महसूस कराना सुनिश्चित किया जा सकें।

पीएम श्री स्कूलों को समतापूर्ण, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण के साथ आदर्श बनाने के लिए, पीएम श्री योजना में विभिन्न घटकों के साथ पीएम श्री स्कूलों को परिपूर्ण करने का प्रावधान है। तथापि, भौतिक और शैक्षणिक स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम, उपयुक्त फर्नीचर के साथ पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श, पूरी तरह से सुसज्जित एकीकृत विज्ञान लैब/भौतिकी लैब/रसायन विज्ञान लैब/जीव विज्ञान लैब, खेल सुविधाओं से सुसज्जित खेल का मैदान, स्कूल नवाचार परिषद, मिशन लाइफ के लिए युवा और इको क्लब, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए बाला फीचर्स और जादुई पिटारा, छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिवस, बच्चों की उपस्थिति की निगरानी हेतु चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, पूर्णत: कार्यात्मक हाथ धाने की सुविधा और शौचालय, ग्रीन स्कूल विशेषता आदि जैसे घटकों की संतृप्ति में कमी की पहचान और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों तथा उपलब्ध प्रावधान के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित किया जाता है।

*****

अनुलग्नक I

माननीय संसद सदस्य **श्री हनुमान बेनीवाल** द्वारा '**पीएम-श्री योजना के तहत धनराशि**' के संबंध में दिनांक 04/08/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2480 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम श्री योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

		वित्तीय वर्ष : 2023-24			**वित्तीय वर्ष : 2024-25**		
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस**	**अनुमोदित पीएबी परिव्यय**	**अनुमोदित पीएबी परिव्यय का केंद्रीय हिस्सा**	**किया गया कुल केंद्रीय भाग जारी की गई**	**अनुमोदित पीएबी परिव्यय**	**अनुमोदित पीएबी परिव्यय का केंद्रीय हिस्सा**	**किया गया कुल केंद्रीय भाग जारी**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.25	6.25	1.56	7.64	7.64	2.83
2	आंध्र प्रदेश	354.85	212.91	106.46	782.39	469.43	294.12
3	अरुणाचल प्रदेश	18.73	16.85	4.21	55.92	50.33	33.87
4	असम	127.46	114.71	57.36	331.02	297.92	142.36
5	चंडीगढ़	0.73	0.73	0.63	1.8	1.8	1.25
6	छत्तीसगढ	65.79	39.47	19.74	201.41	120.85	37.35
7	दादर ओर नगर हवेली और दमन द्वीप	2.59	2.59	0.65	2.56	2.56	1.01
8	गोवा	6.19	3.71	3.25	15.82	9.49	4.64
9	गुजरात	109.79	65.87	32.94	182.9	109.74	63.58
10	हरियाणा	85.26	51.16	25.58	225.5	135.3	56.1
11	हिमाचल प्रदेश	NA	NA	NA	150.39	135.35	135.35
12	जम्मू एवं कश्मीर	116.43	104.79	52.40	280.76	252.68	99.72
13	झारखंड	NA	NA	NA	258.72	155.23	38.81
14	कर्नाटक	50.29	30.17	26.39	251.43	150.86	62.78
15	लद्दाख	8.08	8.08	4.04	26.66	26.66	11.91
16	लक्षद्वीप	4.36	4.36	1.09	6.77	6.77	0.72
17	मध्य प्रदेश	219.99	131.99	44.53	436.41	261.84	145.33
18	महाराष्ट्र	211.35	126.81	63.40	565.61	339.37	226.15
19	मणिपुर	39.19	35.27	17.64	92.1	82.89	37.83
20	मेघालय	9.55	8.59	4.30	33.96	30.57	20.08
21	मिजोरम	9.11	8.20	4.10	13.33	12	4.96
22	नगालैंड	4.34	3.90	0.98	24.81	22.33	5.44

23	ओडिशा	NA	NA	NA	435.03	261.02	130.51
24	पुदुचेरी	3.91	2.35	2.06	10.87	6.52	3
25	पंजाब	NA	NA	NA	209.46	125.68	94.26
26	राजस्थान	163.94	98.36	24.59	450.83	270.5	118.69
27	सिक्किम	22.61	20.35	10.18	34.51	31.06	15.11
28	तेलंगाना	398.69	239.21	59.80	647.78	388.67	342.09
29	त्रिपुरा	26.23	23.61	11.80	57.41	51.67	38.45
30	उत्तर प्रदेश	404.98	242.99	121.50	671.14	402.68	246.86
31	उत्तराखंड	72.91	65.62	57.42	130.1	117.09	58.6
32	केन्द्रीय विद्यालयों	590.71	590.71	295.36	817.78	817.78	656.29
32	एनवीएस	260.73	260.73	162.72	654.44	654.44	441.03
	कुल	**3395.04**	**2520.34**	**1216.68**	**8067.26**	**5808.72**	**3571.08**

***नोट: लागू नहीं- राज्यों ने उक्त वर्ष में पीएम श्री योजना को शामिल नहीं किया था।**

*****